

उत्तराखण्ड शासन  
गृह अनुभाग-4  
संख्या- /XX-4/2019-12(कारा0)/2017  
देहरादून : दिनांक 02 अगस्त, 2019

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-565/XX-4/2019-12(कारा0)/2017, दिनांक 11-07-2019 द्वारा जिला कारागार, हरिद्वार में 30 बाल बन्दियों की क्षमता वाली बैरक के निर्माण हेतु रू0 66.34 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त की धनराशि रू0 27.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश की प्रति परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद, निरंजनपुर, देहरादून को भी है।

2- इस सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-842 /23/निर्माण/2016-17, दिनांक 25-07-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि विपणन बोर्ड में परियोजना प्रबन्धक का पद न होकर सर्वोच्च पद प्रबन्ध निदेशक का है तथा परियोजना का पर्यवेक्षण उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) के स्तर से किया जायेगा।

3- उक्त के क्रम में वर्णित शासनादेश दिनांक 11-07-2019 में उल्लिखित परियोजना प्रबन्धक के स्थान पर एतद्वारा संशोधित कर उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) किया जाता है।

4- कृपया तदनुसार परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद, निरंजनपुर, देहरादून को उप महाप्रबन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निरंजनपुर, देहरादून पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या-565, दिनांक 11-07-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(जीवन सिंह)  
उप सचिव

संख्या-636 /XX-4/2019-12(कारा0)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. उप महाप्रबन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, निरंजनपुर, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जीवन सिंह)  
उप सचिव